

प्रेषक,
राजीव शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।
सेवा में,
निदेशक,
नगरीय परिवहन निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक ०५ फरवरी, 2020

विषय- प्रदेश के प्रमुख शहरों में सी०एन०जी बसों का संचालन कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-1595यूटीडी/19-4यू०टी०डी०/15, दिनांक-06.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबंध समिति की बैठक दिनांक-08.08.2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के 15 प्रमुख शहरों में कुल 1525 सी०एन०जी० बसों का संचालन ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर कराने हेतु संचालक का चयन निविदा के माध्यम से कराने पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-06.12.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासन द्वारा प्रदेश के चिन्हित 15 शहरों यथा-लखनऊ-200, कानपुर-150, आगरा-100, प्रयागराज-150, वाराणसी-150, गाजियाबाद-200, झांसी-50, मुरादाबाद-75, बरेली-50, मथुरा-वृन्दावन-50, मेरठ-150, अलीगढ़-50, अयोध्या-50, गोरखपुर-50 एवं सहारनपुर में कुल 50 कुल 1525 सी०एन०जी० बसों का संचालन ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर कराये जाने का शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्त लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये निधि प्रबंध समिति की बैठक दिनांक-08.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार एस०पी०वी० के गठन हेतु आवश्यकतानुसार सुस्पष्ट एवं सुविचारित प्रस्ताव निहित वित्तीय उपाशय एवं उसकी व्यवस्था के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुये शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।